तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की ... में ...
18-9-18	वकुलाय उप० जवाब हेतु अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब तलबी व जवाब दि. 25-10-18 को पेश हो। अ	
25/10/18	पत्रावली पेश हुई। आज [illegible] अन्य राजकीय/प्रशा[illegible] [illegible] व [illegible] अभियान 2010 में व्यस्त हैं। पत्रावली अग्रिम आदेश दि० 7-1-19 को पेश हो।	
07-1-19	वकुलाय उप० उभयपक्षों ने पावर रखी व उभयानुसार आदेश करवाये जाने हेतु निवेदन किया अतः उभयपक्षों की रजामंदी से वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा गया शामिल पत्रावली है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दफ्तर दाखिल हो। अ 7/1/19 उपखण्ड अधिकारी निवाई	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

(हरिताभ कुमार आदित्य आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अध्यासित)
दावा संख्या :–172/2016
निर्णय दिनांकः–07.01.2019

उनवान

1. रामस्वरूप पुत्र मोतीलाल जाति गुर्जर निवासी सुभाष कॉलोनी निवाई तहसील निवाई जिला टोंक
2. हनुमान पुत्र श्रवण जाति ब्राह्मण निवासी जयसिंहपुरा तहसील निवाई जिला टोंक

–वादीगण

बनाम

1. शंकर पुत्र हरिनारायण जाति गुर्जर निवासी सुभाष कॉलोनी निवाई तहसील निवाई जिला टोंक
2. पप्पू पुत्र हरिनारायण जाति गुर्जर निवासी सुभाष कॉलोनी निवाई तहसील निवाई जिला टोंक
3. रमेश पुत्र हरिनारायण जाति गुर्जर निवासी सुभाष कॉलोनी निवाई तहसील निवाई जिला टोंक
4. रमेश पुत्र हरिनारायण जाति गुर्जर निवासी सुभाष कॉलोनी निवाई तहसील निवाई जिला टोंक
5. रामप्यारी पत्नि हरिनारायण जाति गुर्जर निवासी सुभाष कॉलोनी निवाई तहसील निवाई जिला टोंक
6. तहसीलदार निवाई

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– श्री गोपाल चौधरी वकील वादीगण
श्री रामकल्याण पूनियां वकील प्रतिवादीगण 1 ता 5

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि वादीगण के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि आराजी ख.नं. 1989/2 रकबा 0–16 बीघा वाके कस्बा–निवाई में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिस पर वादीगण काबिज है। प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से कोई वास्ता नहीं है। फिर भी प्रतिादीगण वादीगण की भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है। अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी पाबन्द किया जावे कि वादीगण के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि आराजी ख.नं. 1989/2 रकबा 0–16 बीघा वाके कस्बा–निवाई में बाधा मजाहमत नहीं करें।

दावा पेश होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादीगण 1 ता 5 की ओर से श्री रामकल्याण पूनियां एड. ने वकालतनामा पेश किया। उभयपक्षों ने पाबन्द रहने व उक्तानुसार आदेश फरमाये जाने हेतु निवेदन किया। अतः उभयपक्षों की सहमति से वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी पाबन्द किया जावे कि वादीगण के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि आराजी ख.नं. 1989/2 रकबा 0–16 बीघा वाके कस्बा–निवाई में बाधा मजाहमत नहीं करें। तथा वादीगण को पाबन्द किया जाता है कि उक्त भूमि के पास स्थित प्रतिवादीगण की भूमि में किसी प्रकार की बाधा मजाहमत नहीं करें। उभयपक्ष पाबन्द रहें। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 07.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

7/1/19
हरिताभ कुमार आदित्य
उपखण्ड अधिकारी
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी निवाई

47D:\Rajsw\Court\Faisale\Faisale.docx362

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

(हरिताभ कुमार आदित्य आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अध्यासित)

(डिक्री मुकदमा इब्तदाई)

उनवान

1. रामस्वरूप पुत्र मोतीलाल जाति गुर्जर निवासी सुभाष कॉलोनी निवाई तहसील निवाई जिला टोंक
2. हनुमान पुत्र श्रवण जाति ब्राह्मण निवासी जयसिंहपुरा तहसील निवाई जिला टोंक

—वादीगण

बनाम

1. शंकर पुत्र हरिनारायण जाति गुर्जर निवासी सुभाष कॉलोनी निवाई तहसील निवाई जिला टोंक
2. पप्पू पुत्र हरिनारायण जाति गुर्जर निवासी सुभाष कॉलोनी निवाई तहसील निवाई जिला टोंक
3. रमेश पुत्र हरिनारायण जाति गुर्जर निवासी सुभाष कॉलोनी निवाई तहसील निवाई जिला टोंक
4. रमेश पुत्र हरिनारायण जाति गुर्जर निवासी सुभाष कॉलोनी निवाई तहसील निवाई जिला टोंक
5. रामप्यारी पत्नि हरिनारायण जाति गुर्जर निवासी सुभाष कॉलोनी निवाई तहसील निवाई जिला टोंक
6. तहसीलदार निवाई

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा संख्याः—172 / 2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री हरिताभ कुमार आदित्य आर0ए0एस0 ब हाजरी श्री गोपाल चौधरी वकील वादीगण व श्री रामकल्याण पूनियां वकील प्रतिवादीगण 1 ता 5 मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उभयपक्षों की सहमति से वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी पाबन्द किया जावे कि वादीगण के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि आराजी ख.नं. 1989 / 2 रकबा 0—16 बीघा वाके कस्बा—निवाई में बाधा मजाहमत नहीं करें। तथा वादीगण को पाबन्द किया जाता है कि उक्त भूमि के पास स्थित प्रतिवादीगण की भूमि में किसी प्रकार की बाधा मजाहमत नहीं करें। उभयपक्ष पाबन्द रहें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07 माह 01 सन् 2019 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई(टोंक)

उपखण्ड अधिकारी
निवाई

Scanned by CamScanner